प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

केम्प तहसील बीदासर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल सैनी

उनवान

राकेश सिंह ..... बनाम ..... राजस्थान सरकार अन्य

दावा बाबत नाम दुरस्ती

मुकदमा नम्बर :– 124/2021

निर्णय दिनांक :– 29.11.2021

वादी की ओर से स्वयं ..... को व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज श्री राहुल सैनी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.11.2021 को मैंने पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चूरू के समक्ष अनिवार्य मेडियेशन के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी स्वीकार किया जाता है। भूमि राजी खाता तहसील कोई बीकानेर के खाता नं० 100 पर अंकित अरविन्द सिंह पुत्र छत्रपत सिंह के स्थान पर राकेश सिंह पुत्र छत्रपत सिंह दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। नाम दुरस्त के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो समस्त जिम्मेवारी वादी की होगी।

खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुहर लगाकर दी गई।

29/11/21

(राहुल सैनी)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी चूरू

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रतियों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		गवाहियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		अदालत तामील	
6. कमिश्नर की फीस		[illegible]	
7. आदेशिका की तामिल		[illegible]	
जोड़			

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Saini
Date: 2022.04.27 19:17:45 IST
Reason: SelfAttested

725
29-11-21